524

समक्ष श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर, म.प्र.

प्र/निगरानी/सागर/भू.रा/2017/3073

मु. इब्राहीम आयु लगभग 65 वर्ष

वल्द मु. इस्माईल मुसलमान

साकिन सदर बाजार सागर तहसील सागर जिला सागर

---- आवेदक

।। विरूद्ध ।।

अशोक कुमार वल्द मानसींग यादव

साकिन कुड़ारी तहसील व जिला सागर

---- अनावेदक

रा.प्रकरण क्रमांक/ प्रस्तुत दिनांक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त निगरानीकर्ता/आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है–

1– यह कि, उपरोक्त निगरानी न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, सागर पीठासीन अधिकारी श्री मानवेन्द्र सिंह साहब सागर के रा.प्र.क्रं. 04/अ 70 वर्ष 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12–06–2017 के अनियमिततापूर्ण अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल एवं अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण या सारवान अ नियमितता के आदेश दिनांक 12–06–2017 के अवैध आदेश में हस्तक्षेप किये जाने हेतु निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाकर प्रकरण में की गई अनियमितता की जॉच करने हेतु उपरोक्त निगरानी समयावधि के अन्दर प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि, आवेदक ने मौजा कुड़ारी प.ह.नं. 42/20 जिसका नया नंबर 42 में स्थित भूमि 99/3 रकवा 0.10 हेक्टेयर का आवेदक भूमि स्वामी है। आवेदक ने उपरोक्त भूमि रामेश्वर वल्द परमसुख यादव, लक्ष्मन वल्द सुन्दरलाल ब्राह्मण साकिन कुड़ारी से रजिस्टर्ड बैनामा से क्रय कर ...

सुरेश कुमार सेन
एडवोकेट
...र रूम क्र.-1, सिविल कोर्ट सागर
...एवं निवास - 10, शुक्रवारी ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –एक/निग./सागर/भू.रा./2017/3073

मु. इब्राहीम विरूद्ध अशोक कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार सागर, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उनहें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19
सदस्य